DGP HQRS UP LKW

No- 18-233-2017(A.S.I LEKHA)04/2020 DTD 17-03-2020

द्वारा ई–मेल/फैक्स/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर–1, चतुर्थ तल, गोमती नगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ 226010

संख्याःअठ्ठारह–233–2017(सहा0उपनिरीक्षक लेखा)– PEB-04/04 दिनांकःमार्च 17, 2020

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015 एवं यथा संशोधित सेवा नियमावली–2016 में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा निम्नलिखित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) को पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) के पद पर उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप पूर्व के पद से यदि कोई स्थानान्तरण आदेश निर्गत हुआ हो को निरस्त मानते हुए इन्हें उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान से उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान हेतु तात्कालिक प्रभाव से समायोजित/स्थानान्तरित करते हुए नवनियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस उपनिरीक्षक(लेखा) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है। यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त सूची संख्याःएएसपी–(ई–1)(पदोन्नति)– 04 /2020 दिनांक 17.03.2020 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है।

क0 सं0	पी0एन0ओ0	नाम सर्व श्री	गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	चयन का वर्ष
1	971000030	शत्रुघन सिंह यादव	इलाहाबाद	ललितपुर	पुलिस मुख्यालय, लखनऊ	2017
2	972010016	अशोक कुमार कनौजिया	फैजाबाद	अभिसूचना मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ	अभिसूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ	2017
3	972030034	मनोज कुमार श्रीवास्तव	इलाहाबाद	तकनीकी सेवाएं मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ	कानपुर जोन	2017
4	972330017	सुधांशु श्रीवास्तव	कौशाम्बी	अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 लखनऊ	अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 लखनऊ	2017
5	970780025	प्रमोद दीक्षित	आगरा	जीआरपी अनुभाग आगरा	मेरठ जोन	2017
6	975011881	शम्भूनाथ	बस्ती	सिद्धार्थनगर	एसटीएफ लखनऊ	2017
7	972210025	भारतेन्दु प्रताप सिंह	कौशाम्बी	महोबा	जनपद महोबा	2017
8	972030050	मनोज कुमार श्रीवास्तव	फैजाबाद	35वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ	लखनऊ जोन	2017
9	972410845	देवेन्द्र सिंह	आगरा	बागपत	जनपद गाजियाबाद	2017
10	971000030	मोहन कुमार श्रीवास्तव	इलाहाबाद	पीएमटी वाराणसी	वाराणसी जोन	2017
11	972010016	रणजीत सिंह कर्दम	मथुरा	फिरोजाबाद	जनपद एटा	2017
12	972030034	सिया राम मिश्र	प्रतापगढ़	पुलिस मुख्यालय, लखनऊ	वाराणसी जोन	2017
13	972330017	अमर सिंह	बदांयू	बरेली	पुलिस मुख्यालय लखनऊ	2017
14	970780025	श्रीमती कमला देवी	जालौन	केन्द्रीय वस्त्र भण्डार कानपुर	प्रयागराज जोन	2017
15	975011881	कुसुमलता श्रीवास्तव	वाराणसी	लखनऊ(नगर)	अयोध्या परिक्षेत्र	2017
16	972210025	श्रीमती बबीता रानी	सहारनपुर	पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मेरठ	लखनऊ (नगर)	2017
17	972030050	नमिता श्रीवास्तव	लखनऊ	पुलिस मुख्यालय, लखनऊ	लखनऊ जोन	2017

क्र0 सं0	पी0एन0ओ0	नाम सर्व श्री	गृह जनपद	कहॉ से	कहॉ को	चयन का वर्ष
18	972410845	श्रीमती प्रतिमा सचान	फतेहपुर	प्रयागराज	लखनऊ जोन	2017
19	972650076	श्रीमती महेन्द्री देवी	नई दिल्ली	41वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद	41वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद	2017
20	972230072	श्रीमती उषा चौहान	एटा	मथुरा	जनपद मथुरा	2017
21	972050036	श्रीमती अनीता सिंह	आजमगढ़	पुलिस मुख्यालय, लखनऊ	पुलिस मुख्यालय, लखनऊ	2017
22	972520041	श्रीमती सरिता	वाराणसी	प्रयागराज	पुलिस मुख्यालय, लखनऊ	2017
23	970020217	बरमेश्वर सिंह	गाजीपुर	परिक्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी	प्रयागराज जोन	2017
24	972690054	बृजेश कुमार सिह	चन्दौली	पीएमटी वाराणसी	वाराणसी जोन	2017

2. पदोन्नति पाये समस्त पुलिस उपनिरीक्षक(लेखा) अपने नवनियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त कर्मियों के परिवीक्षा काल हेतु उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली–2015 यथा संशोधित सेवा नियमावली–2016 में अंकित प्रावधान के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।

3. पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) से **<u>संलग्न प्रारूप (क)</u>** में स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या: 13/21/89–का–1–1997 दिनांक: 28.05.1997 के खण्ड–2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियॉ :–

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप–पत्र निर्गत किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

उपरोक्त तीनो परिस्थितियॉ सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लेखा) के विरूद्ध विद्यमान न हों।

4. यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान नहीं है तो सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लेखा) को पुलिस उपनिरीक्षक(लेखा) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लेखा) के पदोन्नति के आदेश का कियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा–निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5. यदि सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लेखा) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लेखा) के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लेखा) द्वारा स्वघोषणा–पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट **<u>http://uppolice.gov.in</u>** पर प्रदर्शित की जा रही है।

<u>संलग्नक– प्रारूप (क)</u>

17.3.2020

(के0बी0 सिंह)
पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना/अपराध
उत्तर प्रदेश।

DGP HQRS UP LKW

No- 18-233-2017(ASI LEKHA)/2020 DTD 17-03-2020

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ/तकनीकी सेवाएं मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ/अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 लखनऊ/राजकीय रेलवे पुलिस, उ0प्र0 लखनऊ/पुलिस मुख्यालय, लखनऊ/लॉजिस्टिक्स/पुलिस आयुक्त लखनऊ(नगर)/पुलिस महानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी/पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मेरठ/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, ललितपुर/सिद्धार्थनगर/महोबा/बागपत/ फिरोजाबाद/बरेली/प्रयागराज/मथुरा/पुलिस अधीक्षक रेलवे, आगरा अनुभाग/सेनानायक, 35वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ/41वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद/पुलिस मोटर वाहन अधिकारी पीएमटी वाराणसी/अपर पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय वस्त्र भण्डार कानपुर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त कर्मियों को उनके नवनियुक्ति स्थान के लिए तत्काल कार्यमुक्त कर सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। **इन कर्मियों द्वारा नवनियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही पदोन्नति आदेश प्रभावी होगा।**
5. अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन/मेरठ जोन/लखनऊ जोन/वाराणसी जोन/प्रयागराज जोन/पुलिस आयुक्त, लखनऊ(नगर)/अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ/अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 लखनऊ/पुलिस मुख्यालय, लखनऊ/पुलिस महानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र/पुलिस महानिरीक्षक, एसटीएफ लखनऊ/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, महोबा/गाजियाबाद/एटा/मथुरा/सेनानायक, 41वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया प्रोन्नति प्राप्त पुलिस निरीक्षक(लेखा) का रिक्ति के सापेक्ष समायोजन करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उ0प्र0 लखनऊ।

DGP HQRS UP LKW

No-18/233-2017(ASI LEKHA)04/2020 DTD 17-03-2020

DGP HQRS UP LKW
No- 8-231-2017(ASI LEKHA)04/2020 DTO 17-03-2020

प्रारूप–"क"
स्वघोषणा–पत्र

मैं,----------------------------(नाम/पदनाम व पीएनओ) पुत्र ------------निवासी------------------थाना-----------जनपद------------ वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम)--------------------- नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:–

(क) "मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों /कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।"

2– उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3– यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दवाब के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनॉक

यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:–

(1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनॉक तथा कारण ------

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई----------में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनॉक:------------- को आरोप–पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0------------ धारा-------------थाना ----------- जनपद-----------में लम्बित है, जिसमें दिनॉक:----------को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी--------------------द्वारा आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में------------स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनॉक

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोट:–स्वघोषणा–पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उपप्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।